


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2017 में सहायक प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र) के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल-शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	जन्मतिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
01	विकास जाट, राउमावि, दत्तवास, टोंक	भौतिक विज्ञान	01.06.89	उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक: एफ 1-89/2019/38/1 भोपाल, दिनांक: 12.13.2019


विभाग छोड़ने के बाद इनका नियमानुसार वर्तमान धारित पद पर दो वर्ष तक लियन रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।


(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/अनापत्ति/अन्यत्र विभाग कार्यमुक्ति/2019 दिनांक: 23/12/19
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. उपशासन सचिव, संबंधित विभाग ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने वावत् ।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), संबंधित संभाग ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मुख्यालय
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
9. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर